न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/540

1. खेमराज आत्मज माधो ।
2. भोला शंकर आत्मज माधो ।
3. हरलाल आत्मज माधो ।
4. शांति बाई बेवा माधो जाति मीणा निवासीगण ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. हीरालाल आत्मज शंकर जाति मीणा ।
2. खनी राम आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा ।
3. गोबरी लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा ।
4. छोटू लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा ।
5. बृजमोहन आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा ।
6. बद्री लाल आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा ।
7. राधेश्याम आत्मज जगन्नाथ जाति मीणा ।
8. दाखां बाई बेवा जगन्नाथ जाति मीणा निवासीगण लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा ।
9. राज0 सरकार जरिय तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा ।

----रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री बाबूलाल योगी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री गिरीराज मीणा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 13.08.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, दीगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद जिला कोटा में आराजी खसरा नम्बर 694/178 की रकबा 2.40 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के शामलाती खाते में दर्ज चली आ रही है जिसमें वादी का 1/2

हिस्सा तथा प्रतिवादी क्रम 1 से 4 का 1/2 हिस्सा है । वादी अपने हिस्से की आराजी 1/2 पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है । प्रतिवादी क्रम 1 से 4 आये दिन कडता लगान जमा करने में झगडा करते हैं और वादी के हिस्से के कब्जे काश्त में मदाखलत व मजाहमत करने पर आमादा रहते हैं जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है ।

3. अतः वादी के पक्ष में प्रतिवादी क्रम 1 से 4 के खिलाफ इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादीण एवं प्रतिवादीगण क्रम 1 से 4 के मध्य विभाजन किया जाकर वादी के 1/2 हिस्से की भूमि को वादी के अलग खाते दर्ज किये जाने की डिक्री पारित की जावे एंव लगान कडता अलग–अलग कायम किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वाद वादग्रस्त आराजी के किसी भी भू–भाग को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द एवं अन्तरण नहीं करे तथा उक्त भूमि में से वादी को 1/2 हिस्से की भूमि को काश्त करने से नहीं रोक और न ही वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत करे ।

4. इसी प्रकार एक अन्य वाद वादीगण अपीलान्ट खेमराज, भोलाशंकर, हरलाल एंव शांतिबाई ने अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 131की 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 की 2.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 की 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 की 0.05 हैक्टर कुल 04 किता की 3.65 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम 1 से 8 के शामलाती खाते में दर्ज है । जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 से 8 का 1/3 हिस्सा दर्ज है । इसके अलावा आराजी खसरा नम्बर 694/178 की रकबा 2.40 हैक्टर भूमि वादीगण एंव प्रतिवादी क्रम 1 के शामलाती खाते में दर्ज जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । वादीगण का कब्जा खसरा नम्बर 694/178 पर है जिसे बंटवारे में प्राप्त करने का उन्हें अधिकार है ।

5. अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार विधिवत विभाजन किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दोनों वादों को समेकित करते हुए अपने निर्णय दिनांक 01.06.2016 के द्वारा वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करते हुए खातेदारान के हिस्से अनुसार मौके व कब्जे काश्त को मध्य नजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार दीगोद को आरदेशित किया ।

7. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथिमक डिक्री दिनांक 01.06.2016 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया है और अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत वाद की अनदेखी करते हुए उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है । पक्षकारान पूर्व में हुए विभाजन के अनुसार मौके पर काबिज काश्त चली आ रहे हैं इस कारण कब्जे की रिपोर्ट तलब कर निर्णय व डिक्री पारित करना चाहिए था । वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी क्रम 3 व 4 का भी हिस्सा है और वे

न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए उनकी अनुपस्थिति में ही रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के कथन पर विश्वास कर उसको लाभ पहुंचाने की नियत से वाद प्रारम्भिक डिक्री कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री निरस्त फरमाई जावे ।

8. उक्त अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट क्रम 1 ने अपीलान्ट के खिलाफ ग्राम लाख सनीजा की आराजी खसरा नम्बर 694/178 की रकबा 2.40 हैक्टर के लिए दावा पेश कर विभाजन की सहायता चाही थी । वादीगण अपीलान्ट ने एक अन्य दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम लाख सनीजा तहसील दीगोद की आराजी खसरा नम्बर 131 की 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 132 की 2.32 हैक्टर, खसरा नम्बर 140 की 1.00 हैक्टर, खसरा नम्बर 297 की 0.05 हैक्टर कुल 04 किता की 3.65 हैक्टर भूमि में वादीगण का 1/3 हिस्सा होना तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी क्रम 2 से 8 का 1/3 हिस्सा दर्ज होने का कथन करते हुए दावा पेश किया । उक्त वाद में यह भी कथन किया था कि आराजी खसरा नम्बर 694/178 की 2.40 हैक्टर भूमि में वादीगण का 1/2 हिस्सा दर्ज है तथा प्रतिवादी क्रम 1 का 1/2 हिस्सा दर्ज है । दोनों खातों में वादीगण का 1.20 हैक्टर एवं 1.22 हैक्टर कुल 2.42 हैक्टर भूमि बनती है । वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य काश्त व जोत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आपसी सहमति से मौके पर विभाजन हो गया है । वादीगण के हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 694/178 की रकबा 2.40 हैक्टर भूमि चली आ रही है । उस पर प्रतिवादीगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है तद्नुसार वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 694/178 का खातेदार घोषित किया जावे । अधीनस्थ न्यायालय में दोनों पत्रावलियॉ राजस्व लोक अदालत में रखी गई । उस दिन वादी क्रम 1 व प्रतिवादी क्रम 1 व 2 राजस्व लोक अदालत में उपस्थित हुए, पत्रावली पर उनके हस्ताक्षर करवा लिये और बाद में अधीनस्थ न्यायालय ने विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री जारी की है जो विधि–विरूद्ध है । सीपीसी की पालना नहीं की गई है तथा पक्षकारान के मध्य पूर्व में हुए विभाजन को नजर अन्दाज किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार राजस्व लोक अदालत में विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है जो विधि सम्मत है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.06.2016 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.06.2016 को उक्त वाद में राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है । राजस्व लोक अदालत में प्रकरण संख्या 1/14 में वादी हीरालाल और प्रतिवादी क्रम 1 खेमराज प्रतिवादीगण क्रम 2 भोलाशंकर उपस्थित हुए हैं शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही पक्षकारान

ने कोई विधिक राजीनामा पेश किया है । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 एवं 188 का पेश किया था । इस दावे को प्रतिवादी हीरालाल द्वारा पेश किये गये दावे के साथ समेकित किया गया और राजस्व लोक अदालत में बिना किसी विधिक राजीनामा के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की है । राजस्व लोक अदालत में केवल ऐसे प्रकरणों का निस्तारण किया जाता है जिसमें समस्त पक्षकारान उपस्थित होकर सहमति के आधार पर विधिक राजीनामा पेश करे । राजस्व लोक अदालत में यदि समस्त पक्षकारान उपस्थित नहीं हों और न ही विधिक राजीनामा पेश किया गया हो तो ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को दावा एंव जवाबदावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकीयात पर पक्षकारान की साक्ष्य आदि ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय एवं डिक्री पारित की की जानी चाहिए परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही पक्षकारान द्वारा कोई विधिक राजीनामा पेश किया गया है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री राजस्व लोक अदालत की भावना के विरूद्ध होने एवं गुणावगुण पर निर्णय नहीं होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को गुणावगुण पर निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

12. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2016 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में दोनों दावों को समेकित किये जाने की स्थिति में समेकित रूप से दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रत्येक तनकी पर पक्षकारान की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वह दिनांक 15.10.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

13. निर्णय आज दिनांक 13.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

13-8-18

(भगवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा